



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 8221 SEIAA/2022

Date: 23/6/22

प्रति,

श्री गोरधन भयडिया आत्मज श्री भरत सिंह भयडिया
निवासी ग्राम परतली, तहसील राणापुर,
जिला झाबुआ (म.प्र.) - 462016

विषय: प्रकरण क्रमांक 9192/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री गोरधन भयडिया आत्मज श्री भरत सिंह भयडिया निवासी ग्राम परतली, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 52 रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम परतली, तहसील राणापुर जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में SEAC की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 की अनुशंसा एवं SEIAA की 731 वी बैठक दिनांक 08.06.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 575 वी बैठक दिनांक 30.05.2022 एवं उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 50 मीटर पर पक्का रोड एवं पश्चिम दिशा में 10 मीटर एवं 12 मीटर पर कच्चा रोड होने का उल्लेख किया गया है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है।

अतः परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी के आधार पर शेष खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन शेष खनन योग्य क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी